02

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	191/2022 भारत भवन नि. / जगदीश प्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/3/22	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्दरित तथ्यों के परिपेक्ष में आदेश जैर अपील दिनांक 19/07/2021 का अवलोकन किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 19/07/2021 जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही किये जाने के स्थान पर इस अपील के माध्यम से उसे चुनौती दी गयी है चूँकी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्द प्रस्तुत हुई है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की कुल बैच द्वारा RRT 2014 (1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रशन संख्या 2 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम एकपक्षीय आदेश के विरुद्द धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नही हो सकती अत: माननीय राजस्व मण्डल की कुलबैच द्वारा RRT 2014 (1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रशन संख्या 2 में दिये गये निर्देशों के अनुशरण में अपीलार्थी की यह अपील ही इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही रहती है। अत: अपील अपीलार्थी संधारणीय नही होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/3/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	225